न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 05/2019 RCMS No.–2019/00008

1. कमलेश पुत्र श्री गणपत
2. मुकेश पुत्र गणपत
   समस्त जाति यादव निवासी चारणवास उर्फ काली पहाडी तहसील जमवारामगढ।

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आज्ञा तहसीलदार जमवारामगढ दिनांक 21.12.2018 पत्रावली संख्या 58/18

उपस्थितः–
1. श्री रिछपाल चौधरी व मदन लाल कुडी अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 04.07.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने निर्णय दिनांक 21.12.2018 से अपीलांट्स द्वारा ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 215/415 किस्म गै0मु0 रास्ता रकबा 0.03 हैक्टेयर में रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर सम्वत् 2075 में अवैध कब्जा कर अतिकमण किये जाने पर अपीलांट्स को अतिचारी मानकर उक्त आराजी गै.मु.रास्ता भूमि से बेदखल करने, व रूपये 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये की शास्ति आरोपित कर वसूल करने तथा अतिकमी अपीलांट्स को बेदखल करने के आदेश दिये गये। अपीलांट्स ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त हुई। दौराने विचाराधीन अपील तुलसीराम बलाई पुत्र श्री दल्लाराम बलाई निवासी कूकस तहसील आमेर एवं आनन्द कुमार डालमिया पुत्र कालूराम डालमिया निवासी प्लाट नंबर 185 नेमीसागर कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. एवं दस्तावेजात पेश किए गए। प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.06.2019 को बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

किया गया। पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया है, वह पटवारी रिपोर्ट एवं त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी पटवार हल्का राजपुवासताला तहसील जमवारामगढ स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 102 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा में से हाल नवीन ख.न. 215 रकबा 4.71 हैक्टेयर अनुसार अपीलार्थीगण की खातेदारी अनुसार स्थित है, में से 15 फीट चौडा उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चित 201 फीट अनुसार क्षेत्रफल 335 वर्गगज भूमि का विक्रय दिनांक 12.07.2005 को गैर मुमकिन रास्ते के लिए क्रेतागण तुलसीराम पुत्र दल्लाराम जाति बलाई एवं एस.आर एग्रीकल्चर फार्मस लि. जरिये आनन्द कुमार पुत्र श्री कालूराम महाजन को विक्रय किया गया था, जो राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। उक्त रास्ते को नवीन राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करते समय अपीलांट्स की खातेदारी ख.न. 215 के रकबे को कम करते हुए गैर मुमकिन रास्ते के ख.न. 215/415 के रकबे को लापरवाहीपूर्ण, त्रुटिपूर्ण तरीके से बढा दिया। जिसके कारण उक्त विवाद उत्पन्न हुआ। जबकि अपीलांट्स के पूर्वजो ने अपने मूल ख.न. 102 में से 15 फीट चौडा व 201 फीट लम्बा रास्ता हेतु बेचान किया था, उक्त रास्ता मौके पर आज भी चालू है। राजस्व नक्शे में गलत तरमीम हो जाने से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि व तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2005 को मात्र 15 फीट चौडाई व 201 फीट लम्बाई में आवागमन हेतु रास्ता दिया था जिसकी गलत तरमीम हो जाने से अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त तथ्यो के बारे में दस्तावेज साक्ष्य पेश करने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं रहा है, अपीलाधीन आदेश की आड में तहसीलदार जमवारामगढ को अपीलार्थी को उनके हक की जमीन से बेदखल करने पर आमादा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पत्रावली संख्या 58/18 बउनवानी सरकार बनाम कमलेश में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2018 को खारिज किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट्स का विवादित गै.मु.रास्ता पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर गै.मु.रास्ता की भूमि पर डोला लगाकर अतिक्रमण किये जाने से अपीलांट्स को विवादित भूमि से

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

बेदखली के आदेश दिनांक 21.12.2018 को पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का सम्वत् 2075 में ग्राम ग्राम चारणवास उर्फ काली पहाडी तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 215/415 किस्म गै.मु.रास्ता के रकबा 0.01 हैक्टेयर पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2018 पारित कर अपीलांट्स को बेदखली के आदेश दिये गये। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि नक्शे में गलत तरमीम किये जाने से अपीलाधीन भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज हो गयी। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के आदेश दिनांक 05.04.2019 द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ को प्रस्तावित नक्शे, साबिक नक्शे अनुसार रकबा पूर्वानुसार दुरूस्त करने एवं पुनः तरमीम किये जाने के आदेश दिये जा चुके है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में भलीभांति साबिक नक्शे, प्रस्तावित नक्शे को अवलोकन किया जाना जाहिर नहीं होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2018 प्रकरण संख्या 58/2018 को निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी की सुनवाई की जाकर, अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करे एवं विवादित भूमि की नियमानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ अनुसार तरमीम करवाई जावे। प्रकरण में 15 फीट का रास्ता कायम रखा जाये एवं अपीलाधीन भूमि तरमीम पश्चात गै.मु.रास्ता पर अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलांट्स के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, जमवारामगढ की मिसल निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर